भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.*225
19 दिसम्बर, 2023 को उत्तर देने के लिए

कालानमक चावल का प्रसंस्करण

***225. श्री जगदम्बिका पाल:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में कालानमक चावल के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और उसमें सहायता प्रदान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) कालानमक चावल प्रसंस्करण इकाइयों में निवेश करने के लिए उद्यमियों और किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु विद्यमान विशिष्ट योजनाओं अथवा राजसहायताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कालानमक प्रसंस्करण में गुणवत्ता मानकों को किस प्रकार बनाए रखना सुनिश्चित करने जा रही है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री पशुपति कुमार पारस)

(क) और (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

"कालानमक चावल का प्रसंस्करण" के बारे में दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *225 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में कालानमक चावल के प्रसंस्करण सहित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित " प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएम-एफएमई) योजना" लागू कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए चालू है। मौजूदा इकाइयों को अपग्रेड करने या व्यक्तियों के लिए नई सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए सहायता 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड अनुदान के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिसमें अधिकतम अनुदान 10 लाख रुपये है।

योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है। योजना के लिए ओडीओपी मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक बुनियादी ढांचे के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कृषि उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद की खराब होने की क्षमता, सूक्ष्म उद्यमों की उपस्थिति, उस उत्पाद के प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की संख्या के आधार पर ओडीओपी की पहचान करते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने उत्तर प्रदेश के 5 जिलों बस्ती, गोरखपुर, महराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर के लिए कालानमक चावल के रूप में ओडीओपी को मंजूरी दे दी है।

योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- व्यक्तिगत / एफपीओ / एसएचजी / सहकारी समितियां / निजी / साझेदारी फर्म आदि- अधिकतम 10 लाख रुपये की सीमा के साथ क्रेडिट लिंक्ड अनुदान 35% की दर से । लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष आवश्यक धनराशि बैंक से ऋण के रूप में होनी चाहिए ।
- सामान्य अवसंरचना (एफपीओ/एसएचजी/सहकारिताएं/सरकारी संस्थाएं) -सामान्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अधिकतम 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था के साथ क्रेडिट लिंक्ड अनुदान 35% की दर से । लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष आवश्यक धनराशि बैंक से ऋण के रूप में होनी चाहिए।
- कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए एसएचजी के प्रति सदस्य 40,000 रुपये की प्रारम्भिक पूंजी, प्रति एसएचजी फेडरेशन 4 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन।

- मार्केटिंग और ब्रांडिंग- ओडीओपी के लिए समूहों या एसपीवी को व्यय का 50% तक अनुदान
- क्षमता निर्माण- क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी और प्रारम्भिक पूंजी के लाभार्थी को "उद्यमिता विकास" और "खाद्य प्रसंस्करण" पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

पीएमएफएमई योजना के विभिन्न घटकों जैसे प्रचार गतिविधियों, क्षमता निर्माण, विपणन और ब्रांडिंग के माध्यम से लाभार्थी को परियोजना निर्माण, निष्पादन, ऋण तक पहुंच, मशीन/उपकरण निर्माताओं से जुड़ाव, स्वच्छता और गुणवत्ता नियंत्रण आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है।.

30 नवंबर 2023 तक 110 कालानमक चावल प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के तहत समर्थन देने की मंजूरी दी गई है।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) पूरे देश में 2017-18 से केंद्रीय क्षेत्र योजना -प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं के निर्माण/विस्तार के लिए योजना (सीईएफपीपीसी योजना) लागू कर रहा है। सीईएफपीपीसी योजना के तहत, आधुनिक चावल मिलिंग सहित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना/विस्तार के लिए अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत, सामान्य क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत का 35% और कठिन क्षेत्रों के साथ-साथ एससी/एसटी, एफपीओ, एसएचजी की परियोजना के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है, जो 5.00 करोड़ रुपये तक की अधिकतम सीमा के अधीन है।

(ग): आज तक, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के पास कालानमक चावल के लिए विशिष्ट मानक नहीं हैं। हालाँकि, सामान्य तौर पर चावल के लिए मानक खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम 2011 में उपलब्ध हैं और चावल में विभिन्न रासायनिक संदूषकों के लिए अधिकतम सीमा/अधिकतम अवशेष सीमा/सहनशीलता सीमा खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रदूषक, विषाक्त पदार्थ और अवशेष) विनियमन, 2011 में निर्दिष्ट हैं। । सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को विनियमों के इन प्रावधानों का अनुपालन करना आवश्यक है।

*****